

**कार्यालय,
संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या: प्राविषा/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090091

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय द्वारा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी कार्टरिसेल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रैक्टिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्ण से संबन्धित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-08-2023 एवं दिनांक 02-09-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवह हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कार्टरिसेल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2123-K D S COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	राज्याई/नॉनराज्याई/बीसी-आई के द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसंधान उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 31/116-3009/9/2002 तारीख 18 मई 2003 द्वारा पूर्ण से संबन्धित संस्था संस्थानों की जीव के विस्तृत माननीय गवर्नर के अधीन स्वीकृत संस्था 50/29/2023 में माननीय गवर्नर के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्मित की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कार्टरिसेल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कार्टरिसेल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, वेब उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एफ 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, संशोधन विनियमवली-2016 तथा समस्त-समय पर निर्मित सार्वजनिक का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रवेश शुल्क का पालन करेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त लागू/लागू हो चुके के सम्बन्ध में समस्त-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रकाशनों, और अनुसंधान कार्यवाही किये जाने आवश्यक होगा। परीक्षा निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुर्वनिर्धारण किये जाता है, वे फीस की नवीकरणा करें लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हताएं छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्मित सार्वजनिक के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि-विधान/अधिनियम/समान-हो-निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा काले गले निशानों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिए बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/एनसीटी काउन्सिल ऑफ इंजिनरिंग, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्थान में उच्चतर उच्चशैक्षणिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई चार्ज दायर किया जाता है तथा उत्तर चार्ज के संस्थान में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रलेख तर्ज के लिए अपेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु कलाकौशलिय प्रारंभ होने के पूर्व अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/एनसीटी काउन्सिल ऑफ इंजिनरिंग, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करना परिषद् कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त समस्त पर निर्णय नवीनतम अनुसूचि निर्णयों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के सुभाषण पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्रगत किया जाने वाला सुझाव, संशोधन सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त संसाधन उपलब्ध करने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित रखनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्राथमिक/प्राथमिक पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कर्मी को अभिलेख भूमि-भारत फर्नीचर, उपकरण टूलबॉर्ड का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परिसर/कक्ष के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कर्मी के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को तत्पश्चात् समस्त कर्मी को कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितिगत) और उपसमितिगत, संस्थाओं का सम्बन्ध किया जाना शिथिलभाषी, 2000 के प्राथमिक-उच्चतर परिषद् की भाँति पर अपने कार्यवाही, भर्ती और फर्नीचर की परिषद् की परीक्षा के संरक्षण के लिए परिषद् के अधिकार में रहेंगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्वीकृत निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रायोगिक, उपकरण एवं अन्य आवश्यकताएँ (उपरोक्त) परिषद् के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बन्धित कर्मी को नोटा कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित कर्मी का अनुपालन न किए जाने अथवा कर्मी का उत्तरदायित्व किसी कर्मी की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन/उत्तरदायित्व कार्यवाही की जाएगी।

(अशुत कुमार मिश्रा)

सचिव

फ़ोन- प्राथमिक/परिषद् सम्बन्धित/2023/12090082-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिश्रुति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, K D S COLLEGE OF PHARMACY

(अशुत कुमार मिश्रा)

सचिव

संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों, अधिनियमों, आदेशों, निर्देशों एवं निर्देशक, प्रादेशिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये विचार, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थानों का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रादेशिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रादेशिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रादेशिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित वाद को कबली होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समाप्त-समय पर निर्गट न्यूनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगुलर रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

15/12/2022

फ़ोन- प्रादेशिकपरिषद संको० सम्बद्धता/2022/10771-11658

प्रादेशिक-
प्रधानाचार्य/निदेशक, K D S COLLEGE OF PHARMACY


(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथिपरिषद संशोधन/साब/उसा/2022/10770

संलग्नक दिनांक 16/12/2022

1-कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु कियोगा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संशोधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गतों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता एवं तालमय पीपीओ-आईओ द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार पंजीत कर दिया गया था।

पीपीओ-आईओ के पत्र संदर्भ संख्या 14-481/2022-FCB/Approval Process 2022-2023/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत संस्थाओं से पूर्व में इतिहास कमिटी के निरीक्षण का विवरण एसओआईओएफओ पर अपलोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सत्य एवं दखिल करने के लिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ-साथ सत्य एवं सकारण बहाल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एसओआईओएफओ का सत्यापन करना होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 2129-K D S COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पीपीओ-आईओ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदत्त संशोधित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एसओआईओएफओ/पीपीओ-आईओ द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक तीन वर्षीय इंग्रजी पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0 22500.00/- प्रतिवर्ष शूलक ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शूलक के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूलक जमा करना होगा।

- ✓ विद्यार्थी द्वारा प्राथमिक पाठ्यक्रम की संरचना यदि दी हो, तो विद्यार्थी को अनुसूचित पाठ करने में आमंत्रण दिया है जो इस संस्था में समस्त छात्राधिकार संस्था का होगा और विधिगत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए समस्त कार्य प्रस्तावी होगी। अधिधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त राज्य परीक्षा परिषद, अधिधिक शिक्षा विदेशीय एवं अधिधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सामग्री को लेते हुए यह धारा किताबें बनाए हैं जो समस्त प्रतिद्वंद्वी संबंधित संस्था को सौंपी होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा प्राथमिक पाठ्यक्रम संरचित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त परीक्षा परिषद, उच्च प्रौढ संरचना द्वारा प्राथमिक रूप से दिए अधिधिक प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षाधिकारित प्रवेश देने के पूर्व विद्यार्थी/अभिभावकों से अनुसूचित पाठ को परिषद कक्षाधिकारित को प्रस्तावित करना होगा अतः उन्हे प्रवेश की (अधिधिकारित के सम्मति से अपना संस्था स्तर पर दीये प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रवेश की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश सहीतः आशय विद्यार्थी को अनुसूचित सामग्री प्रस्तावित होगी।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे सामग्री, वित्तीयिक पूंजी, सुविधा, साज-सज्जा, उपकरण, प्रश्न किताबें जैसे सामग्री सूचक, छात्राधिकार सूचक आदि का विवरण प्रस्तावित करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त चलचित्र उपकरणों के साथ ऐच्छित रोलों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित कराती होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में सम्पादित/संयोजित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट हस्तिलि के समस्त उपकरणों के साथ ही अधिधिक, सुविधा-सज्जा, कक्षाधिकार, उपकरण इत्यादि का पूर्ण संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संरचना में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी आवश्यकता होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धित समस्त किताबें देने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के सम्बन्धित निर्दिष्ट टीका यदि संस्था में सुविधा, सज्जा, परीक्षाधिकार, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा परीक्षाधिकार/परिष्कार/परिष्कार/परिष्कार के सम्बन्धित उपकरण नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बन्धित किताबें सुचना के सम्बन्धित कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित सभी का अनुसूचित में किताबें अन्य कार्य का सम्बन्धित किताबें देने की निमित्त में विद्यार्थी/अभिभावकों को कार्यवाही की जाएगी।

(मुनीन कुमार शीतल)
सचिव।

दिनांक 18/09/2021

सूचना-परिषद/परिषद सम्बन्धित/2021/53/3

पता-सिद्धि-अभिलेख/निदेशक, विदेशीय समिति और परीक्षा, अहमदाबाद, वेदपुर, बाराक।

(मुनीन कुमार शीतल)
सचिव।